(4) टेलीविस्ता, मेक्सिको-डी०डी०-2 चैनल पर प्रायोजकता आधार पर।

(5) ट्रान्सटेल, जर्मनी—डी०डी०-1 तथा डी०डी०-2 चैनल पर अधिगृहण आधार पर।

(ख) जी, नहीं।

बैंक द्वारा दिए गए ऋण

189. **श्री मोहम्मद सलीम:**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री नीलोत्पल बसु:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक व्यक्तियों और कम्पनियों ने बैंकों का 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वापस नहीं लौटाया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के बावजूद बैंक-अनेक उन्हीं अदायगी न करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को ऋण देते जा रहे हैं; और

(ग) सरकार उक्त धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा संदिग्ध या हानि वाले परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कुल परिसंपत्तियां 27390.12 करोड़ रुपए की थीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों द्वारा चूक करने वाली उधारकर्ता कंपनियों/फर्मों को दिए गए नए ऋणों/अतिरिक्त ऋणों/अग्रिमों की राशि के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की देय ऋणों के शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली के लिए अधिकरणों की स्थापना करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, जयपुर और अहमदाबाद में की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ से भी अनुरोध किया है कि वे अपने सदस्य बैंकों को ऋण वसूली के अधिक से अधिक मामले लोक अदालतों/न्यायालयों के पास ले आने और उन्हें निष्पक्ष समझौतों के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करें।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन उधारकर्ताओं की एक सूची परिचालित की है, जिनकी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम बकाया राशियां एक करोड़ रुपए और इससे अधिक हैं तथा जिनके खातों की बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा "संदिग्ध" या "हानि" वाले खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जिनमें मुकदमे दायर किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अनुदेश दिया है कि वे सूची में शामिल चूक करने वाले उधारकर्ता एककों, मालिकों/भागीदारों/निदेशकों आदि द्वारा अपने नाम से या अन्य एककों के नाम से, जिनसे वे संबद्ध हैं, नई या अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोध पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करते समय इस सूचना का उपयोग कर सकते हैं।

समाज कल्याण के लिए निर्दिष्ट किया गया विदेशी ऋण

190. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी ऋणों के संबंध में श्वेत पत्र सभा-पटल पर रखने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; और

(ख) इस समय विदेशी ऋण की कुल धनराशि कितनी है और इसमें से कितनी धनराशि समाज कल्याण के कार्यों के लिए निर्धारित की गई है; इसकी ब्याज दर कितनी है और इसकी अदायगी कब तक करनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) सरकार भारत के विदेशी ऋण की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का विचार कर रही है, जिसके नवम्बर, 1995 में उपलब्ध होने की संभावना की गई है।

(ख) दिनांक 31.3.1995 के अनुसार सरकारी खाते में चालू विदेशी ऋणों/अनुदानों का कुल मूल्य 94,189 करोड़ रुपए की राशि थी, जिसमें से सामाजिक क्षेत्र से संबंधित ऋणों अनुदानों का मूल्य 11,157 करोड़ रुपए था।

सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए ऋण साधारणतया रियायती शर्तों पर हैं। ब्याज की दर 0.75 प्रतिशत से 2.50 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न है। अदायगी की

अवधि-सीमाएं 5-10 वर्षों की छूट अवधि सहित 15-40 वर्षों के बीच रही है।

Constitution of an Electricity Board for Delhi

191. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to constitute an Electricity Board for Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether the Board would function under the Delhi Government; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (e) In view of the alround dismal performance of DESU for the past several years, it is proposed to constitute an Electricity Board for Delhi. The Board will be formed and function within the purview of the Electricity Supply Act. The formation of the above Board and the modalities for its functioning would depend upon the completion of legal and administrative formalities in the matter.

Concessional AID from Japan

192. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the India Development Forum (IDF) has pledged $ 6.8 billion as consortium commitment for 1995-96 at a meeting in Paris on June 29, 1995;

(b) if so, on what precise terms, indicating the concessional component of the pledge; and

(c) whether this aid comprises $ 1.2 to 1.5 billion aid from Japan constituting an all time high Japanese assistance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) At the India Development Forum Meeting held on 29th & 30th June, 1995 in paris, the indication of pledges made by International Financial Institutions and major donor nations was US $ 6.9 billion. Out of this pledge the grant and interest free loans are US $ 2.8 billion. The other terms and conditions of the loan would be finalised at the time of negotiations.

(c) Yes, Sir.

The amount of pledge indicated by Japan was US $ 1.4 billion for 1995-96.

Malhotra committee Report on Insurance Sector

193. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government has now made up its mind on the action to be taken on the Malhotra Committee Report on the Insurance Sector reforms;

(b) if so what are the details thereof;

(c) if not what is the reasons for taking such inordinate time in making up its mind; and

(d) whether a national debate was conducted on this as promised and if so, what has been the general conclusion of the debate?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY):(a) to (d) The Malhotra Committee on Reforms in the Insurance Sector submitted its report to the Government on the 7th January, 1994 recommending various reforms required in the insurance sector. Their recommendations have been discussed with the managements and the unions of the insurance industry, consumer interest groups; Chambers of Commerce and Industry; and academics. These recommendations were also discussed in the consultative Committee of the Ministry of Finance. Broadly, in the discussions, the